भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1737
10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र की स्थिति

1737. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) ऑटोमोबाइल, पूंजीगत वस्तुओं, इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्योगों सहित देश में भारी उद्योग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई केन्द्र सरकार की योजनाओं और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) निवेश को आकर्षित करने, आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने और भारी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) उन्नत विनिर्माण, स्वचालन, हरित प्रौद्योगिकियों और उद्योग 4.0 पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या भारी उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कौशल विकास, रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के एकीकरण के लिए कोई पहल की जा रही है; और
(च) देश भर में पर्यावरणीय अनुपालन और समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित करते हुए भारी उद्योग क्षेत्र के सतत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) से मिली जानकारी के अनुसार, ऑटोमोबिल सेक्टर देश के जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में लगभग 15% का योगदान देता है। यह सेक्टर देश में रोज़गार देने वाला भी एक बड़ा सेक्टर है, जिसमें पूरी ऑटोमोटिव

मूल्य श्रृंखला में अनुमानित 30 मिलियन नौकरियाँ (प्रत्यक्ष: 4.2 मिलियन, अप्रत्यक्ष: 26.5 मिलियन) हैं। जनवरी से दिसंबर, 2025 के दौरान भारत में ऑटोमोबिल उत्पादन, बिक्री और निर्यात इस प्रकार है: -

भारत में ऑटोमोबिल उत्पादन, बिक्री और निर्यात (जनवरी-दिसंबर 2025)

(संख्या लाख में)

श्रेणी	उत्पादन	बिक्री	निर्यात
यात्री वाहन	53.8	44.9	8.6
वाणिज्यिक वाहन	11.1	10.3	0.9
तिपहिया	12.2	7.9	4.3
दुपहिया	255.0	205.0	49.4

(स्रोत *: सियाम)*

इसके अलावा, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, पूंजीगत वस्तु उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.9% का योगदान देता है। यह क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्षेत्रों के उत्पादन, आयात और निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पूंजीगत वस्तुओं का उप-क्षेत्र	उत्पादन	आयात	निर्यात
1	मशीन टूल्स	14,286	18,686	1,472
2	डाई ,सांचे एवं प्रेस टूल्स	18,400	9,400	2,300
3	वस्त्र मशीनरी	10,461	16,417	2,242
4	मुद्रण मशीनरी	29,716	12,651	2,584
5	अर्थ मूविंग एवं खनन मशीनरी	80,750	4,250	6,800
6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	4,827	4,405	2,428
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	15,249	10,850	4,562
8	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	31,505	7,645	10,968

(स्रोतः उद्योग संघ नामतः आईएमटीएमए, टीएजीएमए, टीएमएमए, एएफटीपीएआई, आईपीएएमए, आईसीईएमए, पीएमएमएआई, एएफटीपीएआई और पीपीएमएआई)

(ख) और (ग) : घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय) द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** भारत सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 23.09.2021 को ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम में घरेलू स्तर पर एएटी उत्पादों, जिनमें न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) वाले इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, के उत्पादन को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

(ii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम: सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।.

(iii) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह स्कीम 01.04.2024 से 31.03.2028 तक लागू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देना है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को समर्थन देना और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करना भी शामिल है। इस स्कीम के तहत, ई-दुपहिया, ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट), ई-तिपहिया (एल-5), ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के खरीदारों (उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं) को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के समय अग्रिम मूल्य में कमी के रूप में मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(iv) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई): यह स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को अधिसूचित की गई थी।

(v) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम-चरण II : भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और विनिर्माण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए, यह मांग-आधारित स्कीम अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के फेज II के तहत, कुल 29

परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 7 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 4 कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 6 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास के लिए 9 उद्योग त्वरक और कौशल स्तर 6 और इससे ऊपर के लिए अर्हता पैक बनाने के 3 परियोजनाएं शामिल हैं।

(घ) : इस स्कीम के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारी उद्योग क्षेत्र में डिजिटलीकरण को मज़बूत करने के लिए 4 स्मार्ट उन्नत विनिर्माण और द्रुत रूपांतरण हब (समर्थ) केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र हैं सेंटर फॉर इंडस्ट्री -4.0 (C4i4) लैब पुणे; आईआईटीडी-एआईए फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी दिल्ली; I-4.0 इंडिया @ आईआईएससी, बेंगलुरु; और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, सीएमटीआई, बेंगलुरु।.

(ङ) : भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम-चरण II के तहत, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल वृद्धि के लिए- कौशल स्तर 6 तथा इससे ऊपर के लिए कौशल पैकेज के सृजन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है:

(i) एएसडीसी (ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद),

(ii) सीजीएससी (पूंजीगत वस्तु और रणनीतिक कौशल परिषद)

(iii) आईएएससी (इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन)

(च) : भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****